भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1585

दिनांक 07 दिसम्बर, 2021/ 16 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

आठवीं अनुसूची

†1585. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को संघ की राजभाषा घोषित करने के विषय की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार की आठवीं अनुसूची की भाषाओं को भी संघ की राजभाषा घोषित करने की कोई मंशा है और यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा इस मुद्दे का सरकार किस प्रकार समाधान करना चाहती है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु वर्ष 2003 में डॉ. सीताकांत मोहापात्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसका एक विचारार्थ विषय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 18 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मानने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि आठवीं अनुसूची की भाषाओं को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में यथा स्थिति जारी रहनी चाहिए।

(ख) से (घ): भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 में भी संघ के शासकीय प्रयोजन हेतु हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग और भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में इसके विकास को बढ़ावा दिया गया है। अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा।

******